राहुल शर्मा...
पृष्ठ-1

कंट्री विजन

RNI. NO. RAJHIN/2015/66828

ज्योति जांगिड़...
पृष्ठ-3

डाक पं.सं.Jaipur City/256/2016-18

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

वर्ष- 3 | अंक-22 | जयपुर, शनिवार ,16 जून, 2018 | मूल्य- एक रूपये | पृष्ठ-4

एक दशक बाद हुआ पिता-पुत्र का मिलन

रोहित गौत्तम/जयपुर

इसे भगवान की कृपा माने या लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान एवं बाल कल्याण समिति, जयपुर (राजस्थान) के प्रयासों का नतीजा। एक दशक बाद एक परिवार को उसके जिगर का टुकड़ा वापस मिला हैं।

ऐसे निकला दशक

यह कहानी इटावा (उत्तर प्रदेश) में रहने वाले विशाल की है, जो 10 साल की उम्र में सन् 2008 में अपने पिता के थप्पड़ मारने से नाराज होकर घर से निकल गया। विशाल ट्रेन से अपने मामा के घर जाना चाहता था, लेकिन गलत ट्रेन में बैठने के कारण कानपुर के बजाय ओखा (गुजरात) जा पहुंचा। परिवार ने विशाल की काफी तलाश की और पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर ओखा रेल्वे पुलिस ने रेल्वे स्टेशन पर भटकते इस 10 वर्षीय बालक को बाल कल्याण समिति के माध्यम से पुनर्वासित कराया और फिर यह बालक जामनगर आश्रय गृह से होता हुआ 11 जून, 2009 को गुजरात सरकार के राजकीय चिल्ड्रन होम, राजकोट में स्थानान्तरित किया गया। उस समय बालक अपने नाम और पिता के नाम के अलावा केवल इटावा, जयपुर ही बता पा रहा था, जो इसके रिकॉर्ड में लिख दिया गया।

इसके बाद से विशाल लगातार इसी होम में आवासित रहा और यहीं इसकी शिक्षा- दीक्षा होती रही। साल- दर- साल बीतने के साथ- साथ विशाल की यादें धुंधली होती चली गई और वह अपने बचपन की यादों को धीरे- धीरे भूलता हुआ चिल्ड्रन होम को ही अपना परिवार मानने लग गया। इतना ही नहीं, विशाल हिन्दी भाषा को भूलकर पूर्णतया गुजराती भाषी हो गया।

अहम भूमिका में रहे जयेश और लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान

अक्टूबर, 2017 में गुजरात सरकार के अधिकारी जयेश कुमार द्वारा इस चिल्ड्रन होम में प्रोबेशन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया गया, जो विशाल के लिए देवदूत बनकर आये। उन्होंने विशाल से मिलने और उसकी फाइल देखने के बाद उसे उसके परिवार से मिलाने के लिए प्रण कर लिया। अपने इस प्रण को पूरा करने के लिए जयेश कुमार ने लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान को विशाल का मामला बताया और अभियान द्वारा बाल कल्याण समिति, जयपुर के साथ मिलकर विशाल का परिवार तलाश करने के प्रयास प्रारंभ किये गये। इसी बीच विशाल की फाइल पर इटावा, जयपुर लिखा होने के कारण कानूनी प्रावधानों के तहत इसे मई, 2018 में राजकोट (गुजरात) से बाल कल्याण समिति, जयपुर (राजस्थान) स्थानान्तरित किया गया, परन्तु भाषा संबंधी समस्या सबसे बड़ी बाधा बनकर आई। लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान के संस्थापक राहुल शर्मा और बाल कल्याण समिति, जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से दुभाषिया की मदद से विशाल की एक बार फिर काउंसिलिंग की गई और विशाल का परिवार तलाश करने हेतु नये सिरे से एक बार फिर संयुक्त प्रयास प्रारंभ किये गये। विशाल की गुजराती भाषा ना समझ पाने के कारण इसे वापस गुजरात लौटा दिया गया।

कड़ी मेहनत से मिली सफलता

विशाल के परिवार की इस खोज ने प्रयासों की दिशा को इटावा (उत्तर प्रदेश) की ओर मोड़ दिया और सोशल मीडिया की सहायता से वहाँ की पुलिस एवं आम जनता का भी सहयोग लिया गया। कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, तो सारी कायनात आपका साथ देने लग जाती है। विशाल की किस्मत में भी शायद 10 साल बाद अपने परिवार से मिलना लिखा हुआ था, इसीलिए इन प्रयासों में सफलता मिली और 29 मई, 2018 की रात्रि 11 बजे विशाल के परिवार को इटावा (उत्तर प्रदेश) में खोज लिया गया। विशाल के पिता महेन्द्र सैनी और भाई रोहित सैनी से बात की गई और उन्हें व्हाट्सएप पर विशाल के बचपन की फोटो दिखाई गई, तो उन्होंने तुरन्त भावुक होकर अपने विशाल को पहचान लिया। 9 जून को विशाल के पिता और चाचा राजकोट पहुँचे और भाव विव्हल माहौल में 10 साल बाद अपने जिगर के टुकड़े से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए।

धन्यवाद देने आए जयपुर

विशाल और उसके परिवार की खुशी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजकोट से निकलकर सीधे अपने निवास इटावा (उत्तर प्रदेश) जाने के बजाय वे लॉस्ट फाउण्ड पर्सन और बाल कल्याण समिति, जयपुर का आभार जताने 10 जून को जयपुर पहुँचे और इसके बाद देर शाम इटावा के लिए रवाना हुए। इतने सालों बाद मिली इस अप्रत्याशित खुशी की चमक उनकी आंखों में साफदेखी जा रही थी।

ये रहे सहयोगी: एक दशक पहले परिवार से बिछुड़े हुए बालक को उसके परिवार से मिलाने के इस नायाब पल में लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान, बाल कल्याण समिति, जयपुर एवं राजकीय चिल्ड्रन होम, राजकोट (गुजरात) के प्रोबेशन ऑफिसर जयेश कुमार का विशेष सहयोग रहा। लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान के संस्थापक जयपुर निवासी राहुल शर्मा ने इस सफलता हेतु बाल कल्याण समिति, जयपुर के अध्यक्ष नरेन्द्र सिखवाल, सदस्य निशा पारीक, मीना यादव एवं आनन्द बिहारी पारीक, गुजरात निवासी जयेश कुमार, कोटा जिला निवासी मनीष पंकज, कलकत्ता निवासी श्रीगोपाल तापड़िया सहित इस अभियान से जुड़े हुए समस्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष देशव्यापी सहयोगियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके सम्मिलित प्रयासों से विशाल के परिवार को तलाशा जा सका।

''सोशल मीडिया और लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान के सहयोग से बाल कल्याण समिति, जयपुर अपने प्रयासों में सफल हुई और हम 10 साल बाद विशाल को उसके परिवार से मिला पाये।''

- नरेन्द्र सिखवाल, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, जयपुर

''मई, 2018 में विशाल की बाल कल्याण समिति, जयपुर और लॉस्ट फाउण्ड पर्सन द्वारा की गई काउंसिलिंग ने हमें इसका परिवार तलाश करने की एक नई दिशा प्रदान की और उत्तर प्रदेश की इटावा पुलिस एवं आमजनता का साथ लेकर हम विशाल को उसके परिवार से मिला पाये।''

- निशा पारीक, सदस्य, बाल कल्याण समिति

''विशाल 2008 से लापता था और लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान ने सी.डब्ल्यू.सी., जयपुर और चिल्ड्रन होम, राजकोट के अधिकारीगण के सहयोग से 2018 में इसका परिवार तलाशा। रात 11 बजे परिवार ट्रेस होना मेरे लिए अत्यन्त सुखद पल था। मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूं।''

-राहुल शर्मा, संस्थापक, लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान

''मैं 10 साल बाद अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हूँ और इसे मिलाने के लिए सहयोग देने वाली सभी संस्थाओं का धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना अधिक प्रभावित हूँ कि राजकोट से इटावा जाने के बजाय पहले जयपुर आया हूँ।''

- महेन्द्र सैनी, विशाल के पिता।

यह है लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान

लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान बिछुड़े हुए लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने का देशव्यापी सामाजिक अभियान है, जिसकी मुख्य कार्यप्रणाली पूरे देश के लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाकर एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करते हुए सभी लापता व्यक्तियों और लावारिस पाये गये जीवित अथवा मृत व्यक्तियों का मिलान करना है।

150 से अधिक लोगों को मिलाया

इस अभियान का शुभारम्भ भारतीय नववर्ष के अवसर पर 8 अप्रैल, 2016 को किया गया था और इन लगभग 2 वर्षों की अवधि में यह अभियान अपने प्रयासों से 160 से भी अधिक व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिला पाने सफलता प्राप्त कर चुका है। अभियान के कार्यों को देखते हुए राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी इस अभियान को अधिकृत करते हुए अपने समस्त विभागीय अधिकारियों को लापता व्यक्तियों की तलाश एवं लावारिस व्यक्तियों की पहचान हेतु लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान का सहयोग लेने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान की कार्यशैली

इस अभियान का मूल आधार इसकी वेबसाइट www. lostfoundperson.com एवं व्हाट्सएप नम्बर 9782279219 है। अभियान के तहत सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए समर्पित सहयोगियों का एक मजबूत देशव्यापी नेटवर्क कायम किया गया है। किसी भी लापता व्यक्ति अथवा लावारिस पाये गये जीवित अथवा मृत व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होने पर सत्यता जाँच के उपरान्त उसकी प्रविष्टि वेबसाइट पर की जाती हैं और अपने समस्त सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से ना केवल सोशल मीडिया पर जानकारी प्रसारित की जाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक प्रयास भी किये जाते हैं। अभियान के संस्थापक राहुल शर्मा के शब्दों में इस वेबसाइट को इतना सरल बनाया गया है कि कोई भी आम व्यक्ति इस वेबसाइट पर लापता या लावारिस पाये गये लोगों की जानकारी पोस्ट कर सकता है और इस वेबसाइट का सर्वोत्तम पहलू यह है कि इसे सीधे सोशल मीडिया से जोड़ा गया है, ताकि कोई भी आम व्यक्ति वेबसाइट की किसी भी प्रविष्टि को सीधे अपने सोशल मीडिया अकाउन्ट पर शेयर कर सकता है।

आधुनिक तकनीकी और सोशल मीड़िया का लिया सहारा

एक ओर जहाँ सोशल मीडिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की खबरें मिलना आम बात हो गई है, वहीं दूसरी ओर इसी सोशल मीडिया और आधुनिक टेक्नोलॉजी का सही दिशा में सर्वोत्तम उपयोग करते हुए लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान निरन्तर बिछुड़े हुए लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के मिशन में जुटा हुआ है। संस्थापक राहुल शर्मा खुद मानते हैं कि इस अभियान से जुड़े हुए हजारों देशव्यापी समर्पित सहयोगियों से वे अभी व्यक्तिगत मिले भी नहीं हैं, केवल सोशल मीडिया और टेलीफोन के माध्यम से ही सभी के साथ संपर्क कायम रखा हुआ है।

फर्जी पोस्ट नहीं होती प्रसारित

लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान की बेवसाइट के माध्यम से सोशल मीडिया पर जारी होने वाली कोई भी पोस्ट फर्जी नहीं होती। शर्मा बताते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने परिवार से मिल जाता है, वैसे ही वेबसाइट पर हुई एन्ट्री में उसे अचीवमेंट टैब में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसके बाद सोशल मीडिया पर चल रहे लिंक को खोलने पर पूरे विवरण के बजाय 'नो रिकॉर्ड फाउण्ड' लिखा हुआ प्रदर्शित होता है। इस प्रकार सोशल मीडिया पर लॉस्ट फाउण्ड पर्सन के माध्यम से कोई भी फर्जी पोस्ट प्रसारित नहीं होती।

इसके अलावा यह अभियान आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। वेबसाइट का उपयोग कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रविष्टि को शेयर कर सकता है। सोशल मीडिया के जरिये यह अभियान अपना मजबूत देशव्यापी नेटवर्क कायम करने में सफल हुआ है। जो व्यक्ति वेबसाइट का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, वे किसी भी लापता व्यक्ति या लावारिस पाये गये व्यक्ति की सूचना शर्मा के व्हाट्सएप नम्बर 9782279219 पर भी दे सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आम जनता, पुलिस एवं सामाजिक संस्थाओं से एक साथ जुड़ा हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों के प्रति बदला नजरिया

सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत लॉस्ट फाउण्ड पर्सन के संस्थापक राहुल शर्मा ने आम जनता में सरकारी कर्मचारियों के प्रति व्याप्त नकारात्मक धारणा को बदला है। अपने सरकारी कार्य को करते हुए भी समय निकालकर वे लॉस्ट फाउण्ड पर्सन अभियान का बखूबी संचालन कर रहे हैं। इस अभियान के अलावा भी अन्य सामाजिक गतिविधियो से भी शर्मा निरन्तर जुड़े रहते हैं। केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अपने सरकारी काम भी शर्मा पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उत्कृष्ट सरकारी सेवाओं हेतु शर्मा गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस, 2017 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।

इसके अलावा भी शर्मा को अन्य सरकारी व सामाजिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शर्मा बताते हैं कि सरकारी काम के साथ- साथ सामाजिक गतिविधियों और परिवार के बीच संतुलन बनाये रखने में उनके कार्यालय के सभी अधिकारियों व साथियों तथा परिवार के सदस्यों का असीम सहयोग, समर्थन और आत्मबल मिलता है, जिनके कारण वे यह सब कुछ कर पा रहे हैं।

कंट्री विजन में समाचारों व विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें

9252511751

जयपुर - रवि कुमार
9782527840

जगतपुरा-विजय गौतम
9887030620

टोंक- महेश त्रिपाठी
9414971407

देवली-प्रकाश शर्मा
8104895013

अलवर-गोविन्द
8426839585

करौली-नगेन्द्र
9982140771